न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :– पंकज कुमार (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रार्थनापत्र संख्या :– 64/2023

प्रार्थी :–

1. महेन्द्रसिंह पुत्र श्री गणपतलाल जाति माली, निवासी बागा रूपावतों का बेरा, सूरसागर, जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थी :–

1. उम्मेदसिंह पुत्र श्री लूणाराम जी सोलंकी जाति माली, निवासी बागा रूपावतों का बेरा कालीबेरी सूरसागर, जोधपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जोधपुर

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राजस्थान भू – राजस्व अधिनियम

–::आदेश::– दिनांकः–07/3/24

उपस्थिति :–

1. श्री सुगनमल परिहार अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. श्री सूर्य प्रकाश पंवार अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1 की ओर से ।

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111 व 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि खसरा सं. 62 गांव बागा का मूल रकबा 38 बीघा था। सहखातेदारों ने आपसी सहमति से इस भूमि का विभाजन दिनांक 03.01.2000 को कर लिया एवं तहसीलदार ने विभाजन आदेश क्रमांक राजस्व/2000 दिनांक 03.01.2000 को जारी किया । विभाजन पत्र एवं उससे संलग्न नक्शे पर सभी सहखातेदारान द्वारा अंगूठा निशान एवं हस्ताक्षर किए। आपसी विभाजन के अनुसार जिन सह खातेदारान के हिस्से में 1 बीघा तक अथवा इससे कम क्षेत्रफल आया उसे विभाजन पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे में अलग–अलग नंबरों से दर्शाया गया एवं इस प्रकार उसी समय काबिज होकर स्वतंत्र उपयोग करने लगे एवं मकानात् तथा चारदीवारी बनाई गई और रहवास कर दिया । मौके पर सड़कों बिजली के पोल भी लगाए तथा पानी की पाईपलाइन भी डाली हुई है, जिससे सभी घरों को पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। रोड़ लाइटें इत्यादि लगी हुई है। विभाजन आदेश दिनांक 03.01.2000 के अनुसार प्रार्थी के हिस्से में खसरा नं. 62/1 मीन रकबा 14 बीघा 8 बिस्वा भूमि आई एवं अप्रार्थी सं. 1 के

उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) जोधपुर

हिस्से में खसरा सं. 62/33 रकबा 10 बीघा भूमि आई उस पर दोनों उसी समय से काबिज चले आ रहे हैं। बागा का मूल राजस्व नक्शा उपलब्ध नहीं होने से विभाजन पत्र से संलग्न नजरी नक्शा में खसरा सं. 62/1 मी. को केसरिया रंग से दर्शाया गया एवं खसरा सं. 62/33 की भूमि को गोल्डन चमकीले रंग से दर्शाया गया। जमाबंदी में प्रार्थी व अप्रार्थी की भूमियों के अलग–अलग खाते हैं। प्रार्थी अपने खातेदारी की भूमि खसरा सं. 62/1 मि. की पेमाईशन करवाकर पत्थरगढ़ी करवाना चाहता है एवं तारबंदी करवाना चाहता है ताकि भूमि को अतिक्रमण से बचाया जा सके। अप्रार्थी सं. 1 की कृषि भूमि खसरा सं. 62/33 प्रार्थी की भूमि से चिपते ही स्थित है। प्रार्थी जब भी अपनी भूमि की पत्थरगढ़ी एवं पेमाईश प्रारंभ करता है तो अप्रार्थी मौके पर आकर झगड़ा करता है एवं पत्थरगढ़ी की कार्यवाही में रुकावट पैदा करता है। इस कारण प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र पेश किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किए गए। अप्रार्थी की ओर से जरिए अधिवक्ता प्रार्थना पत्र का जवाब पेश किया गया। जिसमें प्रार्थी एवं अप्रार्थी के मध्य दिनांक 03.01.2000 को भूमि का विभाजन होना स्वीकार किया गया एवं विभाजन पत्र के साथ संलग्न नक्शे को स्वीकार किया परंतु अप्रार्थी ने जवाब प्रार्थना पत्र में यह आक्षेप लगाया है कि स्वयं प्रार्थी ही पत्थरगढ़ी करवाना नहीं चाहता है। अप्रार्थी ने कभी भी विधिवत् पत्थरगढ़ी से इनकार नहीं किया है। मौके पर दोनों पक्षों की मौजूदगी में पहले पैमाईश करवाकर पत्थरगढ़ी करवाई जाती है तो अप्रार्थी की सहमति है।

उभयपक्षों को सुना गया। पत्रावली तथा प्रस्तुत रेकर्ड का अवलोकन किया गया। उभयपक्षों के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र व जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों पर ही अपनी बहस की। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि भूमि का विभाजन सभी सहखातेदारान की सहमति से किया गया एवं तहसीलदार ने इस संदर्भ में आदेश दिनांक 03.01.2000 को पारित किया। विभाजन सहमति पत्र के साथ नजरी नक्शा संलग्न किया गया, जिसकी प्रमाणित नकल पत्रावली पर पेश की गई है। मूल राजस्व नक्शा उपलब्ध नहीं होने के कारण वक्त विभाजन नजरी नक्शा बनाकर सहखातेदारान की सहमति से विभाजन हुआ। नजरी नक्शे पर सभी सहखातेदारान के हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशान है तथा सहखातेदान के हिस्से वाली भूमि का रकबा भी लिखा हुआ है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी के नाम से जमाबंदी में वही रकबा दर्ज है इन परिस्थितियों में कोई विवाद की स्थिति नहीं है एवं पेमाईश तथा पत्थरगढ़ी किए जाने से भविष्य के विवाद से बचा जा सकता है। इन परिस्थितियों में पत्थरगढ़ी का आदेश किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपखण्ड अधिकारी (ग्रामीण) जोधपुर

परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 111, 128 स्वीकार किया जाता है एवं पत्रावली पर प्रस्तुत नजरी नक्शे में बताए अनुसार प्रार्थी एवं अप्रार्थी की भूमियों के रकबे के अनुसार मौके पर दोनों पक्षों की मौजूदगी में पेमाईश करके पत्थरगढ़ी का कार्य तहसीलदार जोधपुर द्वारा संपन्न करवाया जावे। पत्रावली पर प्रस्तुत नजरी नक्शे को इस निर्णय का अंग शुमार किया जाता है। आवश्यक्ता होने पर पुलिस इमदाद ली जावे।

(पंकज कुमार)RAS
उपखण्ड अधिकारी
(उत्तर) जोधपुर

आदेश आज दिनांक 07/3/24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज कुमार)RAS
उपखण्ड अधिकारी
(उत्तर) जोधपुर